।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 09.02.2026 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 09.02.2026** को महानिदेशक कारागार की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्न से अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य सचिव
2. श्री एल.आर. मीणा, शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री जगमोहन मित्रुका, उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के निर्णय की पालना में 04 बंदियों के प्रकरण पर बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। जिसका विवरण निम्न से है:-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
सूरज धोबी पुत्र बालचंद	वि.के.का. श्यालावास	1406/2025	31.01.2026	06.02.2026
पप्पू पुत्र देवाराम	के.का.जोधपुर	270/2026	30.01.2026	05.02.2026
सिराज अहमद पुत्र रियाज अहमद	उ.सु.का. अजमेर	3329/2025	20.01.2026	05.02.2026
हनुमान पुत्र भारमल बिश्नोई	के.का.अजमेर	3618/2025	31.01.2026	09.02.2026

स्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी सूरज धोबी पुत्र बालचंद, वि.के.का.श्यालावास:-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, रामगंजमण्डी, जिला कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 18/2014 अंतर्गत धारा 302/34 आई.पी.सी.में दिनांक 16.12.2017 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 14.10.2024 एवं 08.04.2025 को विचारार्थ

रखा गया था। तत्समय बंदी के विरूद्ध बंदी खुला शिविर में कदाचार करने पर दिनांक 13.09.2024 को जेल दाखिल होने के कारण अस्वीकृत किया गया था।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 1406/2025 सूरज बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 31.01.2026 पारित किया है कि " So far as the contention raised by the counsel for the state is concerned that during the open air camp period, the conduct of the petitioner was not good, hence, he was shifted back to the jail, No material has been placed on the record that what was the misconduct of the petitioner and whether any punishment was imposed upon him for the same, on the contrary, the jail report indicates that the conduct of the petitioner was found to be satisfactory. Hence, under these circumstances, the instant criminal Writ petition is liable to be and is hereby allowed. The impugned order dated 08.04.2025 qua the petitioner stands quashed and set aside. The respondeents are directed to pass appropriate order for shifting the petitioner from jail to Open Air camp. pending applications, if any, stand disposed of."के निर्देश दिये गये।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में 14 वर्ष 06 माह 11 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। बंदी के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण में प्रोडक्शन वारंट माननीय अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश रामगंजमण्डी कोटा के सीआईएस नं. 488/2015 में जमानत पर है।

अतः माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सूरज धोबी पुत्र बालचंद** को बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

2. दण्डित बंदी पप्पू पुत्र देवाराम, केन्द्रीय कारागृह जोधपुरः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सीकर द्वारा प्रकरण संख्या 26/1998 अंतर्गत धारा 302,323/34 आई.पी.सी. में दिनांक 26.07.1999 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 26.03.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2021 तक नियमित पैरोल से फरारी होने से बंदी खुला शिविर प्रकरण अस्वीकृत किया गया था।

तत्पश्चात् बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 270/2026 पप्पू बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 30.01.2026 से निर्णय पारित किया है कि "The undisputed facts of the writ petition are that the

petitioner has been convicted for the offence under Section 302 ofthe I.P.C. and is undergoing sentence of life imprisonment. It is also an admitted fact that petitioner has actually undergone the sentence of more than 13 years. It is true that petitioner has absconded for a period of 14 years, however, after he was re-arrested on 10.05.2021, he was enlarged on parole on two occasions of 7 days and 30 days respectively and on both the occasions, the petitioner has reported back to the jail authorities on time. The jail conduct of the petitioner is also reported satisfactory. Thus, the case of the petitioner is eligible for shifting him to the open air jail as per the Rajasthan Prisoners Open Air Camp Rules,1972. In these circumstances, we are of the considered view that the case of the petitioner merits acceptance, therefore, he is ordered to be shifted to the open air jail. The present criminal writ petition is allowed accordingly '' के निर्देश दिये गये।

बंदी दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2021 तक नियमित पैरोल से फरार रहा।फरारी के पश्चात् बंदी द्वारा दिनांक 11.06.2025 से 19.06.2025 तक 07 दिवस नियमित पैरोल एवं दिनांक 23.09.2025 से 22.10.2025 तक 30 दिवस आपात पैरोल का उपभोग किया है। जिसके दौरान बंदी का आचरण संतोषप्रद रहा। अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी का आचरण संतोषप्रद है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी पप्पू पुत्र देवाराम** बंदी खुला शिविर में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

3. दण्डित बंदी हनुमान पुत्र भारमल विश्नोई, केन्द्रीय कारागृह अजमेरः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जायल, जिला नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 19/2015 अंतर्गत धारा 302/34,326/34,324,323,341, आई.पी.सी. 4/25 आर्म्स एक्ट, 325,326 मोटर एक्ट में दिनांक 26.07.2024 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बंदी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 3618/2025 हनुमान बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय ने उक्त रिट में आदेश दिनांक 19.01.2026 से निर्णय पारित किया है कि ''In light of such submission, the present criminal writ petitionis disposed of with a direction to the respondents to consider and decide the application of the convict prisoner expeditiously with in a period of two month from receipt of the certified copy of this order.'' के निर्देश दिये गये।

बंदी द्वारा सजा का एक तिहाई भाग सजा भुगते जाने पर इसका प्रकरण पूर्व में आयोजित बैठक दिनांक 30.12.2025 को विचारार्थ रखा गया था। तत्समय बंदी का खुला शिविर प्रकरण स्वीकृत किया जा चुका है।

अतः उक्तानुसार माननीय न्यायालय को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. दण्डित बंदी सिराज पुत्र रियाज अहमद, उच्च सुरक्षा कारागार अजमेरः-

बंदी को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक बांसवाड़ा द्वारा प्रकरण संख्या 43/2006 अंतर्गत धारा 302/34,324 में दिनांक 07.11.2006 प्रभावी दिनांक 30.03.2020 को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

दण्डित बंदी द्वारा सजा अवधि का 1/3 सजा भुगते जाने पर बंदी का प्रकरण दिनांक 26.11.2025 को समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी के विरूद्ध 03 अन्य प्रकरण विचाराधीन है एवं पुलिस अधीक्षक, जिला बांसवाड़ा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी के विरूद्ध 27 प्रकरण दर्ज होने के कारण तथा बंदी हार्डकोर होने से उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत दण्डित बंदी इम्तियाज पुत्र रियाज अहमद को बंदी खुला शिविर में नही भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

बंदी द्वारा कारागृह से बंदी खुला शिविर में निकाले जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी.क्रिमिनल रिट पिटिशन संख्या 3329/2025 सिराज बनाम राजस्थान व अन्य दायर की गई। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिट में आदेश दिनांक 20.01.2026 से प्रतिपादित किया है कि "In this view of the matter, the writ petition is disposed of with direction to the respondents to consider and decide the pending case of the petitioner for sending him to the Open Air Jail expeditiously preferably within a period of eight weeks from the date of receipt of certified copy of this order in accordance with law." के निर्देश दिये गये।

माननीय न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में बंदी का प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाने पर पाया गया कि बंदी द्वारा दिनांक 31.01.2026 की स्थिति में 07 वर्ष 01 माह 07 दिवस की सजा मय परिहार के भुगत ली है। जिला पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा से प्राप्त पत्र अनुसार बंदी बांसवाड़ा जिले का कुख्यात गैंगस्टर एवं हिस्ट्रीशीटर अपराधी होना एवं बंदी के विरूद्ध 27 आपराधिक प्रकरण दर्ज होना बताया है तथा अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी अनुसार बंदी मूल प्रकरण के अतिरिक्त 02 अन्य प्रकरण में दण्डित होने व 01 अन्य प्रकरण में विचाराधीन होने एवं बंदी हार्डकोर प्रवृति का होने के कारण बंदी खुला शिविर में भेजे जाने की प्रवंदना नही की है। फलस्वरूप पुलिस अधीक्षक बांसवाड़ा से प्राप्त पत्र एवं अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागार, अजमेर से प्राप्त टिप्पणी को ध्यान मे रखते हुए समिति का अभिमत है कि राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत अर्हता अर्जित नही करता है।

अत: माननीय न्यायालय के आदेश की पालना तथा उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 में निहित प्रावधानों के तहत **दण्डित बंदी सिराज पुत्र रियाज अहमद** को बंदी खुला शिविर में नहीं भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

(अशोक राठौड़)	(विक्रम सिंह)	(एल.आर.मीणा)	(जगमोहन मित्रुका)
अध्यक्ष	**सदस्य**	**सदस्य**	**सदस्य**
महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर	महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर	शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर	उप विधि परामर्शी, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर